न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

18-02-20
03-03-20
17-03-20
03-04-20

वाद संख्या 218/19-20

धारा 107 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

~~झारखण्ड सरकार~~ शिवशंकर ठाकुर बनाम ~~शिव टहल यादव एवं 34 अन्य~~ उपेन्द्र ठाकुर एवं 3 अन्य

स्थानीय पुलिस थाना, डुमरी से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया हैं, के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि

25-9-20

उभय पक्षों के बीच गाली–गलौज एवं मारपीट, धमकी की घटना होते रहती है, 09-10-20

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति–व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शांति भंग, खून–खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

05-08-20

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष / विपक्षी सदस्यों के विरूद्ध धारा 107 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 18 / 02 2020 को कारण–पृच्छा की मांग की जाती हैं कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/– रूपये के दो–दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध–पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष –

1	शिवशंकर ठाकुर	उम्र : 65 वर्ष	पिता : स्व0 सोना ठाकुर
2	बलदेव ठाकुर	उम्र : 67 वर्ष	पिता : स्व0 सोना ठाकुर, दोनों सा0 कुलगो, थाना: डुमरी

– बनाम –

द्वितीय पक्ष –

1	उपेन्द्र ठाकुर	उम्र : 35 वर्ष	पिता : स्व. जोधी ठाकुर
2	बासुदेव ठाकुर	उम्र : 40 वर्ष	पिता : स्व. जोधी ठाकुर
3	बबीता देवी	उम्र : 35 वर्ष	पति : सन्तोष ठाकुर
4	उर्मिला ठाकुर	उम्र : 40 वर्ष	पिता : मदन ठाकुर

सभी सा. कुलगो, थाना : डुमरी, जिला : गिरिडीह।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 10/02/20
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी (गिरिडीह)

(मुहर: अनुमंडल दंडाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह))

(हस्ताक्षर) 10/02/20
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी (गिरिडीह)

18.02.2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष वकालतनामा के साथ उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभि0 दि0 03.03.2020 को उपस्थापित करें। अनु0 दं0अ0 डुमरी।

Scanned with CamScanner

दं.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 218/19-20 -

शिवशंकर ठाकुर - बनाम उपेन्द्र ठाकुर वगै०

12.12.20

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित थाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ हीं अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

12/12/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

12/12/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

Scanned with CamScanner